



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 184 राँची, सोमवार,

27 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

2 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-494/2014-19374 (HRMS)--श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03, गृह जिला-राँची) के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-63(ii)/स्था०, दिनांक 13.01.2012 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप- बिना स्थल निरीक्षण किये ही स्वयं सेवी संस्था के प्रभाव में आकर गलत व भ्रामक प्रतिवेदित समर्पित किया जाना-

तत्कालीन उप विकास विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-874(ii), दिनांक 06.08.2007 द्वारा गुमला जिला में नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश सभी संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया था। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-449(ii), दिनांक 11.10.2007 द्वारा जेट्रोफा वृक्षारोपण हेतु स्वयंसेवी संस्था, उत्थान, राँची के लिए स्वीकृत पलॉट/रकबा का सत्यापन एवं रकबा मापी

हेतु अंचल अधिकारी, बसिया को निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, गुमला के उक्त पत्र के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या का सत्यापन किया गया, किन्तु रकबा का सत्यापन नहीं किया गया। इनके द्वारा अपने पत्रांक-530(ii), दिनांक 20.12.2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में लिखा गया कि “प्रति एकड़ 666 पौधे मानक प्राक्कलन के अनुरूप लगाये गये हैं।” इनके द्वारा यह भी लिखा गया कि “जेट्रोफा पौधारोपण संबंधी विवरणी सही है तथा जमीन विवरणी का खाता एवं रकबा सही है।” इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा बिना भौतिक सत्यापन के स्वयंसेवी संस्था के प्रभाव में प्रतिवेदन दिया गया है।

बाद में वृक्षारोपण की जाँच प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित जाँच दल द्वारा करायी गयी। जाँच दल द्वारा वृक्षारोपण संबंधी योजनाओं की जाँच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अत्यधिक अल्प कार्य पाया गया। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रसंगाधीन प्लॉटों के खतियानी रकबा को बढ़ाकर अधिक रकबा प्रतिवेदित किया गया है, जबकि बढ़ाया गया रकबा वस्तुतः खतियान में नहीं है एवं कुछ प्लॉटों को दोबारा दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से कुल 156.24 एकड़ ज्यादा भूमि पर पौधारोपण किया गया दर्शाया गया है, जो प्रमाणित करता है कि इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया है एवं स्वयंसेवी संस्था उत्थान, राँची को लोकधन के दुरुपयोग हेतु अनुचित लाभ दिया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-530(ii), दिनांक 20.12.2007 के आधार पर स्वयंसेवी संस्थान उत्थान, राँची के द्वारा पूरे रकबे पर कार्य करने का गलत दावा किया गया एवं इसके आधार पर ही द्वितीय किस्त की राशि पन्द्रह लाख रुपये प्राप्त की गई, जिसकी पुष्टि प्रमंडलीय आयुक्त, राँची द्वारा करायी गई जाँच में हुई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1965, दिनांक 28.02.2012 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 12.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1198, दिनांक 07.02.2014 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्रांक-208 दिनांक 15.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1208, दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र दिनांक 22.10.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, इनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित पौधारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-425(HRMS) दिनांक 22.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के पत्रांक-265/गो०, दिनांक 18.04.2020 द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील आवेदन दायर किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-25, दिनांक 04.01.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) श्री कुमार द्वारा अपने बचाव-बयान में उल्लेख किया गया है कि "कार्यारंभ एवं राशि विमुक्ति से पूर्व परियोजना कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के साथ संबंधित गैर सरकारी संस्था को एम०ओ०यू० तथा संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के साथ एकरारनामा करना होगा।"

स्वीकृत्यादेश में कार्यारंभ के पूर्व संबंधित स्वयंसेवी संस्था उत्थान, हेहल, राँची सम्बद्ध लाभुकों को 10-10 लाभुकों के समूह में गठित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया एवं जिला ग्रामीण अभिकरण, गुमला को 15 दिनों में संसूचित करना था। पौधा, खाद, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को तथा प्रशिक्षण, विपणन एवं कार्यान्वयन व्यय की राशि संबंधित स्वयंसेवी संस्था को विमुक्त किया जाना था। पौधारोपणी कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि (कोई तिथि अंकित नहीं) तक होनी थी। कार्यारंभ से पूर्व के निदेश, योजना कार्यान्वयन हेतु निदेश/शर्त, निगरानी समिति संबंधी निदेश एवं अन्य निदेश विस्तृत रूप में उपायुक्त, गुमला ने स्वीकृत्यादेश सं०-846(ii), 847(ii), 848(ii) दिनांक 30.07.2007 में उल्लेखित किया था। उक्त स्वीकृत्यादेश में एम०ओ०यू० करने का स्पष्ट उल्लेख है, जिसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला एवं संबंधित गैर सरकारी संस्था के बीच तथा संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीच होना था। तत्पश्चात् ही राशि विमुक्त होनी थी। किसी भी कार्य में, जिसमें इतनी बड़ी राशि सन्निहित है, कार्यारंभ से पूर्व एम०ओ०यू० निश्चित होनी चाहिए, जिसका उल्लेख स्वीकृत्यादेश में था, परन्तु उक्त स्वीकृत्यादेश में अधिकांश कंडिकाओं/निर्देशों की धज्जियाँ/अवहेलना स्वयं स्वीकृत्यादेशों निर्गत करने वाले अधिकारियों ने किया तथा प्राक्कलित राशि 68,69,486.08/- रु० की 50% राशि एकमुश्त 34,34,743.00 रु० अग्रिम कार्यकारी एजेंसी के नाम विमुक्त कर दी। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि नरेगा नियमों में कहीं भी अग्रिम राशि देय का प्रावधान नहीं है, परन्तु नियमों के इतर अग्रिम राशि विमुक्त की गई। यहां स्पष्ट होना चाहिए कि एम०ओ०यू०/एकरारनामा किसी स्तर पर नहीं हुआ था, तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्तों में अग्रिम राशि का भुगतान क्यों किया गया था? उपायुक्त/डी०आर०डी०ए०, गुमला ने स्वयं ही अपने आदेश का उल्लंघन किया था। यहां यह भी ध्यान कराना लाजमी है कि जब योजना स्वीकृत करने वाले वरीयतम पदाधिकारी ही स्वीकृत्यादेशों में उल्लेखित निदेशों का स्वयं उल्लंघन कर रहे हों और साथ ही साथ 50% राशि भी विमुक्त कर दी गई हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे कनीय पदाधिकारी के द्वारा उठाये गये आपत्ति अनसुनी ही रह जाती है। मौखिक रूप में उन्होंने उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, गुमला को एम०ओ०यू० लम्बित रहने की जानकारी दी थी, जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा था कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर से भी एम०ओ०यू० नहीं की गई है। फिर भी कार्यान्वयन से पूर्व राशि विमुक्त कर दी गई थी। तत्पश्चात् द्वितीय एवं तृतीय किस्त क्रमशः पन्द्रह लाख एवं दस लाख संबंधित एजेंसी को विमुक्त कर दी गई। सभी भुगतान बिना किसी जांच दल के भौतिक सत्यापन के किया गया, जो उपायुक्त के आदेशों की अवहेलना थी। जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सिर्फ संबंधित एन०जी०ओ० को राशि निर्गत

करने की हड़बड़ी थी, जैसा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में संधारित संचिकाओं से स्पष्टतः परिलक्षित होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सिर्फ एक scapegoat बनाया गया है, क्योंकि उपायुक्त/उप विकास आयुक्त के आदेशों का पालन करना नीचले स्तर के पदाधिकारियों की मजबूरी होती है।

(ii) उत्थान एन०जी०ओ० द्वारा पौधारोपण गैर स्वीकृत स्थलों पर किया गया था, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 में प्रतिवेदित था। सक्षम प्राधिकार को स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-846, 847, 848 दिनांक 30.07.2007 में दर्ज स्थलों/ग्रामों और प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया (आरोपी पदाधिकारी) के पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 में प्रतिवेदित पौधारोपण में सन्निहित भूखंडों के विवरण का मिलान कर ही द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करना चाहिए था, क्योंकि अभिलेख का संधारण एवं वित्त पोषण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा ही किया जा रहा था, परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा ऐसा न कर द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त कर दी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि गैर स्वीकृत स्थलों/ग्रामों में उत्थान द्वारा किये गये पौधारोपण की सूचना स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारियों के संज्ञान में थी। पुनः तृतीय किस्त की राशि भी संभवतः इसी आधार पर विमुक्त की गई थी। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया (आरोपी पदाधिकारी) की कोई गलती नहीं थी। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति रोक दी जाती तो यह स्पष्ट होता उत्थान द्वारा गैर स्वीकृत स्थलों पर पौधारोपण और आरोपी पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) का पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 स्वीकार नहीं है। यह भी उल्लेख है कि अस्वीकृत गांवों में वृक्षारोपण किया जाना उचित नहीं है, तो जिला प्राधिकार द्वारा द्वितीय व तृतीय किस्तों की राशि विमुक्त किया जाना उचित नहीं था। साथ-साथ स्वीकृत गांवों में वृक्षारोपण के लिये विमुक्त अग्रिम राशि को वापस किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ था और आरोपी पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के पत्रांक-530, दिनांक 20.12.2007 को स्वीकार किया गया था, जिसका सत्यापन जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा की गई थी। तत्पश्चात् संभवतः द्वितीय व तृतीय किस्तों की अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प में यह उल्लेख है कि श्री कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर राशि विमुक्ति की कार्रवाई की गई। यह पूर्णतः असत्य है। उपायुक्त, गुमला ने अपने पत्रांक-753(ii) दिनांक 05.08.2014 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्वयंसेवी संस्था को राशि विमुक्ति में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट करना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया ने कहीं भी एन०जी०ओ० को अग्रिम राशि की विमुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं किया है। इसमें यह स्पष्ट है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा किये गये विवादित कार्यों को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के मत्थे मढ़ने का प्रयास है, जो कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है।

(iv) यह भी आरोप है कि प्लॉटों के वास्तविक खतियानी रकबा को बढ़ाकर अधिक रकबा पर पौधारोपण प्रतिवेदित किया गया था, जिसकी वजह से 156.24 एकड़ भूमि बढ़ गया था। आरोप था कि वास्तविकता से ज्यादा भूमि पर पौधारोपण प्रतिवेदित किया गया था। इस संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि मूल पदस्थापना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के पद पर थी और अतिरिक्त प्रभार अंचल अधिकारी, बसिया के रूप में थी। रकबा की नापी/सत्यापन मूलतः तकनीकी विषय है, जिसमें अहम भूमिका अमीन/राजस्व कर्मी की ही होती है। प्रखंड में कार्य की अधिकता/विविधता के कारण उक्त

अंचल कार्यों में उनके द्वारा किये गये कार्यों में विश्वास करके ही प्रतिवेदन भेजा गया था। इसमें आरोपी पदाधिकारी की मंशा कदापि गलत या किसी को अनुचित लाभ पहुँचाने की नहीं थी। Random basis पर कुछ प्लौटों में लगे जेट्रोफा का सत्यापन अपनी उपस्थिति में कराया गया था, जिसका उल्लेख पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 में था। उपायुक्त, गुमला ने अपने पत्रांक-753(ii) दिनांक 05.08.2014 में उल्लेख यह है कि हल्का कर्मचारी ही खतियान के कस्टोडियन होते हैं।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि- (i) आरोपी का कथन अमान्य है, क्योंकि यदि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था तो आरोपी द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्रवाई की गई, इसका कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोपों के गठन का मूल आधार उनके पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 द्वारा प्रेषित पौधारोपण संबंधी रकबा का सत्यापन प्रतिवेदन है, जिसमें उत्थान संस्था द्वारा 679.34 एकड़ जमीन पर प्रति एकड़ 666 पौधा मानव प्राक्कलन के अनुरूप लगाया जाना प्रतिवेदित किया गया है, अर्थात् श्री कुमार द्वारा अपने प्रतिवेदन में 100% पौधा जीवित पाया जाना प्रतिवेदित किया गया। पुनः उन्हीं की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा पत्रांक-849(ii) दिनांक 08.08.2008 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में मात्र 144.81 एकड़ भूमि पर ही जेट्रोफा के पौधे लगाया जाना प्रतिवेदित किया गया। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन गलत था। अतः श्री कुमार द्वारा दिया गया तर्क स्वीकारयोग्य नहीं है।

(iii) उपायुक्त, गुमला का कथित पत्रांक-753(ii) दिनांक 05.08.2014 श्री कुमार द्वारा साक्ष्य के रूप संलग्न नहीं किया गया है, इसलिए उनका कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(iv) श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक-530(i) दिनांक 20.12.2007 द्वारा उप विकास आयुक्त, गुमला को प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि उत्थान, हेहल, राँची द्वारा प्रखंड अंतर्गत कुल 679.34 एकड़ भूमि पर किये गये जेट्रोफा खेती का अधोहस्ताक्षरी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में ग्राम-बम्बियारी में 70.61 एकड़ भूमि ग्राम-तिरी में 32.50 एकड़ भूमि में प्रति एकड़ 666 पौधे मानक प्राक्कलन के अनुरूप लगाये गये हैं। यह भी उल्लेखित किया गया है कि संस्था द्वारा कुल 679.34 एकड़ भूमि पर जेट्रोफा की खेती की गई है एवं जेट्रोफा पौधे की खेती मानक प्राक्कलन के अनुरूप सभी स्थलों/रकबा में नरेगा के मार्गनिर्देशिका के अनुरूप किया गया है एवं कार्य संतोषप्रद है, जबकि बाद में आरोपी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा पत्रांक-849(ii) दिनांक 08.08.2008 में प्रतिवेदित किया गया कि उत्थान संस्था, हेहल, राँची द्वारा कुल 144.81 एकड़ भूमि पर ही जेट्रोफा के पौधे लगाये गये हैं। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा बिना भूमि सत्यापन के ही अपने पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 द्वारा सम्पूर्ण 679.34 एकड़ भूमि पर जेट्रोफा पौधारोपण का प्रतिवेदन जिला को प्रेषित किया।

समीक्षोपरांत, श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-425(hrms) दिनांक-22.01.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAT KUMAR JHK/JAS/103	श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-754/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
